

क्रमांक 3322851/भाग-1/सीधीभर्ती/19/533
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.-462003
दूरभाष-2552646, 2552878, फ़ैक्स-2552406, 2551253
email:-encwrdbpl_mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 03/03/2019

// आदेश //

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक के तहत, उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर वेतनमान वेतन वैण्ड रु. 9300-34800 ग्रेड पे 3200/- पर अस्थाई रूप से कार्यग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है:-

स.क	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति श्रेणी	कार्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाता है
01	02	03	04	05
1	श्री पीयूष तेकाम, आ. श्री नरेशचन्द्र तेकाम	03.11.1992	अठखोजा	संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, भोपाल

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- 01 उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा चयनित वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी ।
- 02 मुख्य अभियंता, अपने कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार विस्तृत पदस्थापना आदेश जारी करेंगे एवं इस कार्यालय को अवगत करावेगें ।
- 03 मध्यप्रदेश शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्धस्थाई सेवा नियम 1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया के भांति वसूली योग्य होगी ।
- 04 अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उसकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम आदि व्यय भी शामिल होंगें, की वापसी के लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगें ।
- 05 उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जल संसाधन सेवा (अरा.)भर्ती नियम 1969 के अध्यायीन रहेगें । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवको को लागू नियमों के अध्यायीन रहेगें ।
- 06 यदि शपथ पत्र में दी गई जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन में असत्य पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

- Rami

07 जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र जांच करने पर यदि असत्य पाये जाते हैं तो यह आदेश निरस्त माना जायेगा ।

08 इन नियुक्ति में मध्यप्रदेश लो क सेवा (अनु.जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994)का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

Ramir 21/3/19
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल

पृ० क्रमांक 3322851/भाग-1/सीधीभर्ती/19/ 534

भोपाल, दिनांक 5/03/2019

प्रतिलिपि :-

- (1) संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल
- (2) मुख्य अभियंता, वि./यां., जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (3) निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
- (4) वेब मेनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (5) संबंधित श्री पीयूष तेकाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाइट <http://www.mpwrd.gov.in/>से पदस्थापना आदेश प्राप्त कर संबंधित कार्यालय में दिनांक 08/03/2019 तक उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करेंगे ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

A. Mishra
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता